पत्र सं0- 01 /2022/2433 /चार 2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति विभाग **लखनऊः दिनांक 03 जनवरी,2022**

विषयः-राज्य संग्रहालय, लखनऊ में संग्रहीत स्वर्ण सिक्कों आभूषणों के प्रभार हस्तांतरण में उत्पन्न कठिनाइयों के निस्तारण हेतु मुद्राविदों की एक समिति गठन तथा उस पर आने वाले व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1023/उ0प्र0सं0नि0-5(50)/2017, दिनांक- 20.12.2021 तथा पत्र सं0-1047/उ0प्र0सं0नि0-5(50)/2017, दिनांक- 23.12.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रस्तावानुसार समिति के गठनको अनुमोदित करते हुए, राज्य संग्रहालय, लखनऊ में संग्रहीत स्वर्ण सिक्कों आभूषणों के प्रभार हस्तांतरण में आने वाले व्यय रू0 1,50,000 (रू0 एक लाख पचास हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

1. निदेशक, संग्रहालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशालय का होगा । वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा ।
3. कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें ।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों,समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।
5. प्रश्नगत स्वीकृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा ।
6. उक्त स्वीकृत धऩराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा ।

3. उपरोक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान-42-अन्य व्यय, राज्य संग्रहालय, लखनऊ (अनुदान संख्या-92) से वहन किया जाएगा ।

4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021,दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अंतर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या - 01 /2021/ 2433 /चार-2021 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन,लखनऊ ।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक,राज्य संग्रहालय,लखनऊ ।
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।